International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
Vol. 4, Issue 1, January 2017 Impact Factor- 5.414
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
© Associated Asia Research Foundation (AARF) Publication
Website: www.aarf.asia Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

मुगल शासनकाल में भारतीय महिलाएंः दिल्ली हुकूमत के विशेष संदर्भ में

[1] डॉ. अजीत सिंह
प्रवक्ता – इतिहास विभाग, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी

[2] विकास धन्या, शोधार्थी, इतिहास विभाग, बुन्देलखण्ड स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाँसी

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का मुख्य मानदण्ड महिलाओं की स्थिति ही रही है। महिलाओं की स्थिति में होने वाले परिवर्तन प्रत्येक युग के समाज व्यवस्थाकारों के लिये चिन्तन का विषय रहे हैं। सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन के अनुरूप नारी की स्थिति में परिवर्तन हुए। धर्म ग्रन्थों का अध्ययन करने पर नारी के संबंध में बहुधा परस्पर विरोधी बाते मिलती है। देशकाल तथा स्वभाव के अनुरूप नारिया विभिन्न प्रवृतियों में संलग्न रही है। प्रत्येक वर्ग की नारी को पृथक् विवेचना पर ही नारी समाज की पूर्ण स्थिति का परिचय प्राप्त हो सकता है। आदिकाल से ही समाज में नारी का गरिमामय एवं महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नारी को जीवन की आधारशिला माना गया है। नारी का समाज में जो सम्मान मिला वह उसकी साधना, सत्यता, सहनशीलता, सौम्यता, आदि सहज गुणों का ही फल है। धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी, शक्तिदायिनी दुर्गा, ज्ञानदायनी माँ सरस्वती तथा जनकनन्दिनी सीता के रूप में नारी को समाज मे सम्मान दिया जाता रहा है। उसे श्री और लक्ष्मी के रूप में मनुष्य के जीवन का सुख व समृद्धि से दीप्त व प्रकाशित करने वाली कहा गया है।

नारी का आगमन पुरूष के लिये शुभ, सौरभमय और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नारी के बिना घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मान्यता रही है कि जिस प्रकार प्रकृति के बिना पुरूष (परमात्मा) का कार्य अपर्णू रहता है ठीक उसी प्रकार नारी के बिना नर का जीवन भी अधुरा है।

नारी व नर को जीवन रूपी गाड़ी के दो चक्रों के समान माना गया है, उनकी बराबरी ही जीवन रूपी गाड़ी को गतिशील रख सकती है। इसलिये नारी का पुरूष की अर्द्धांगिनी कहा गया है।

मुगलकाल में भारतीय समाज में विशेषतः दिल्ली सल्तनत के दौरान मुस्लिम महिलाओं की स्थिति न तो पूर्णतया स्वतंत्र थी और न ही समान थी। इसी कालक्रम के दौरान मुस्लिम समाज के सन्दर्भ में नारी

अधिकाशंतः पीड़ित, उपेक्षित, अबला और असहाय स्थिति में रही है। मुगलकाल में दिल्ली बादशाहत् की महिलायें अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वतन्त्र नहीं थीं। शाही घरानों की मुस्लिम महिला और सम्राटों की बेगमों को छोड़कर, सामन्य महिला का जीवन संघर्षरत था। गरीब महिलाओं को दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी उन्हें भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं था। तथा तन पर वस्त्रों का अभाव था। जबकि शाही घरानों की महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। जबकि साधारण वर्ग की मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार अधिक नहीं हुआ। इस काल की सम्पन्न परिवार की महिलायें संगीत, विभिन्न वाघयन्त्र घुड़सवारी, निशानेबाजी आदि में दक्षता हासिल करती थीं। इस युग में में कतिपय महिलाओं ने कुछ क्षेत्रों में अपनी विशेष योग्यता का विशेष परिचय दिया। इस काल में महिलाओं के लिए मनोरंजनार्थ विभिन्न प्रबन्ध किये गये थे जिनमें चौपड़, पचीसी, शतरंज, संगीत, नृत्य आदि मनोरंजन के साधन थे। इस काल में हरम की महिलाओं को सुख सुविधाओं उपलब्ध कराई जाती थी जबकि दुसरी और उनका जीवन बंदीगृह से कम नहीं था। मुगलकाल में उच्च वर्ग चार पत्नियाँ तक रखता था। अधिक स्त्रियों के कारण पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण था तथा महिलाओं में पारस्परिक प्रतिद्वन्दिता थी। तथा महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी, कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत के दौरान भारतीय महिलाओं की स्थिति को न तो आदर्श रूप में व्यक्त किया जा सकता है और न हीं उस स्थिति को दुष्वर स्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र

दिल्ली सल्तनतकाल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का विषय सदैव से विवदास्पद रहा है। समय के साथ–साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन होते गये। प्राचीन काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति ठीक रही, परंतु बौद्धकाल से उनकी स्थिति का पतन आरंभ हुआ, जो सल्तनत युग तक निरंतर जारी रहा है। दिल्ली सल्तनत काल में कन्या जन्म के अशुभ माने जाने के संकेत मिलते हैं। सदैव लड़कियाँ पैदा करने वाली महिलाओं को घृणा से देखा जाता था, महिला का कुछ सम्मान पुत्र की माता बनने पर मिलता था। परन्तु इस्लाम के भारत में आने के बाद सुरक्षा, विवाह, दहेज आदि प्रश्नों ने कन्या जन्म को सामाजिक अप्रतिष्ठा का विषय बना दिया। अतः कन्या शिशु हत्या की परम्परा प्रारम्भ हुई। विशेष रूप से राजस्थान में जहाँ लगातार युद्धों का सामना सामान्य सी बात थी। महिलाओं की सुरक्षा व अप्रतिष्ठा के प्रश्न ने कन्या शिशु हत्या के आँकड़ो में वृद्धि की।

यद्यपि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही प्राचीन है जितना मानवता का इतिहास। संस्कृति की वाहिका के रूप मे भारतीय सभ्य समाज मे महिलाओं का स्थान प्रारंभ से ही उच्च रहा है। समाज मे नर–नारी को एक साथ दंपत्ति के रूप मे किसी पारिवारिक समारोह मे भाग लेने पर जो सम्मान दिया जाता है। वह अकेले पुरूष के भाग लेने पर नही मिलता है। इस आदर्श ने श्रद्धा मनु, राधा–कृष्ण, सीता–राम जैसे संबोंधनों को लोकप्रिय बनाया है। इतिहास साक्षी है कि संस्कृति के प्रारंभ से देवत्व रूप मे

मातृका पूजन की परंपरा का उदय हुआ। सिंधु सभ्यता के पुरावशेष इसके अकाट्य प्रमाण है। इसी परंपरा मे महिलाओं द्वारा विविध शक्ति के स्त्रोत व विशिष्ट पहचान धारक तत्व विभिन्न आभूषण धारण करने का प्रचलन हुआ जो आज निरंतर जारी है।

भारत मे सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति बाहरी आक्रमणों के कारण दयनीय हो गई थी पर्दाप्रथा, बहुविवाह तथा वेश्यावृत्ति बढ़ गई थी। स्त्रियों द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग–धंधे लगभग आधे रह गए थे। उनकी कमाई घर तथा बच्चे के ऊपर व्यय होने लगी। उनका अपना कोई स्वतंत्र बचत खाता नही था, और उसके उपरांत भी यह परिवार द्वारा ही पोषित व संरक्षित होती थी। मध्ययुग की समाप्ति होते होते तो स्त्रियों की दशा इतनी अधिक खराब हो गई कि अधिकारों के नाम पर उनके पास कुछ भी नही रहा था। हाँ यदि बात राजपरिवारों या उनके संबंधित स्त्रियों की हो तो उसे सामान्य महिलाओं से बेहतर कहा जा सकता है। हस्तलिखित बहियों से हमे यह ज्ञात होता है कि राजपरिवारों की महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के साथ आर्थिक अधिकार सुरक्षित थे। बहियों के आधार पर हम देख सकते हैं कि राजपरिवार की महिलाओं द्वारा जनहित मे मंदिर, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला आदि का निर्माण स्वयं की इच्छा तथा अर्थ से होता था। उनकी आर्थिक स्थिति व अधिकार स्वर्णाभूषणों के रूप मे सुरक्षित थे, जो आजीवन उनके ही होते थे तथा उन पर उनका नाम तथा पहचान अंकित होती थी। परंतु सामान्य स्त्रियां जो भी कमाती थी वह न तो सुरक्षित था न ही उस पर उनका अधिकार था। पति–पत्नी दोनों ही मिलकर घर गृहस्थी का भार ढोते थे। सामान्य महिलाओं के पास इतने अधिक स्वर्णाभूषण भी नही होते थे। वह अपने आपात काल मे शस्त्र की भांति काम ले पाती। यदि थोड़े बहुत होते भी तो उस पर पति या परिवार का ही हक होता। अतः कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है। स्त्रियों की आर्थिक स्थिति बेहतर नही थी।

अध्ययनकाल में मुस्लिम समाज में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। चार पत्नी के अधिकार के आकर्षण ने कई विजातियों को इस्लाम कुबूल करने को प्रेरित किया। मुता विवाह एवं तलाक की सरल प्रक्रिया के कारण पुरूष के पास 'विवाहों' के असीमित अवसर थे। हिन्दू महिलाओं के परित्याग के आदर्श अब भी उनके आर्य ग्रन्थ थे। जहाँ पुत्रों को न उत्पन्न करने अथवा कन्या ही कन्या उत्पन्न करने पर परित्याग किया जाता था। महिलाओं के पास आर्थिक पराश्रितता के अवसर कम थे। हिन्दू महिलाओं की अपेक्षा मुस्लिम महिला को तलाक की सुविधा अधिक थी किन्तु तलाक दिए जाने की आशंका भी उतनी ही अधिक थी। तीन बार के तलाक के उच्चारण मात्र से विवाह सम्बन्ध समाप्त हो सकते थे।

सल्तनतकालीन उच्च वर्गो की अपेक्षा शूद्र वर्ण में आने वाली जातियों में विधवा विवाह का प्रचलन सामान्य एवं विधि सरल थी। ऐसे विवाहों पर राजपूत रियासतों में कर का प्रावधान था, यह कर धरेचा कहलाता था। मुसलमानों में विधवा–विवाह सामान्य था, विधवा महिला के पास तीन विकल्प थे– पति की मृत्यु के बाद विधवा के रूप में परिवार पर निर्भर रहे, गलत रास्ता अपनाए या फिर पति के साथ जिन्दा

जले। विधवा जीवन की विषमताओं का विकल्प सती प्रथा एवं जौहर प्रथा जोरों पर थी, जिसकी पूर्व में भी प्रशंसा की गई थी।

सल्तनत काल से सती प्रथा में स्पष्ट वृद्धि दृष्टिगत होती है जिनमें सर्वाधिक संख्या राजस्थान में थी। दिल्ली सल्तनत काल विशेषकर उत्तर दिल्ली सल्तनत काल में पति की मृत्यु के बाद पत्नियों के साथ दासियों, पातुर व नौकरों के चिंता में आत्मोसर्ग के प्रमाण भी मिलते हैं। विदेशी यात्रियों ने सती प्रथा का विवरण दिया है। हिन्दू परिवारों में कन्याओं को आरम्भ से यह बताया जाता था कि सती होना कुलगौरव के लिए श्रेष्ठ व स्त्रीधर्म की परम्परा के अनुकूल है। विदेशी यात्रियों ने सती के प्रश्न को सम्पत्ति के उत्तराधिकार से भी जोड़ा है। इस्लाम में सती प्रथा नहीं थी परन्तु मुस्लिम सुल्तान द्वारा हिन्दू स्त्रियों के पति प्रेम और बलिदान की प्रशंसा की गई। जौहर वीरता और एकनिष्ठता का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया।

अध्ययनकाल में महिलाओं की शक्ति के वर्चस्व का उदाहरण शासन तन्त्र में भाग लेने से मिलता हैं, जिसका एक साक्ष्यस्वरूप रजिया सुल्तान है। राजघराने की सभी महिलाओं के पास ऐसे अवसर नहीं थे। रानियाँ बहुपत्नित्व की शिकार व भोग–विलास का साधन थी। वहाँ स्त्री दूतियाँ, भाटों, चारणों तथा पेशेवर लोगों के द्वारा फुसलाए जाने, बरगलाए जाने व प्रलोभनों द्वारा हस्तगत करने का माध्यन रही। पर्दा प्रथा हिन्दू व मुस्लिम दोनों ही जातियों की महिलाओं के लिए अनिवार्य थी जिसके कारण उनकी स्थिति शोचनीय थी।

शोध उद्देश्य

वर्तमान समय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं समस्याओं को लेकर राष्ट्र एवं समुचा विश्व संवेदनशील है। महिलाओं की स्थिति को लेकर समाज में विभिन्न प्रकार के प्रश्न एवं चिन्तन प्रचलित हैं। परन्तु इतिहास ही उन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत विषय का चयन शोध हेतु किया गया है। प्रस्तुत शोध योजना निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित हैः

- प्राचीन भारत में वैदिक काल से लेकर पूर्व दिल्ली सल्तनत कालीन काल में महिलाओं की स्थिति को रेखांकित करना।
- दिल्ली सल्तनत कालीन भारतीय राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को स्पष्ट करना।
- दिल्ली सल्तनत कालीन भारत में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना।
- दिल्ली सल्तनत कालीन भारत में महिलाओं की धार्मिक–सांस्कृतिक स्थिति की विवेचना करना।
- दिल्ली सल्तनत काल में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का आलोचनात्मक परीक्षण करना।

साहित्य पुर्नावलोकन

मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उद्भव हुआ। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। प्रो. आर.एस. शर्मा ने प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के मध्य सीमा रेखा के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक विकास की प्रक्रिया को पहचानने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने सामंतवादी उत्पादन व्यवस्था (Feudal mode of production) को एक वेष्चारिक मापदंड के रूप में प्रयुक्त किया। प्रो. डी. डी. कोशाम्बी और प्रो. आर.एस. शर्मा जैसे विद्वानों ने तो एशियाई उत्पादन व्यवस्था (Asiatic mode of production) संबंधी मार्क्स की विचारधारा का खंडन किया इस विचारधारा के अनुसार प्रारंभिक भारतीय समाज में परिवर्तन विषयक कोई अन्तर्निहित शक्ति नहीं थी। वस्तुतः मार्क्स ने भारतीय परिस्थितियों का अवलोकन किया एवं 1853 में 'न्यूयार्क डेली ट्रीब्यून' में भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव के विषय में दो निबन्धों का प्रकाशन किया। मार्क्स के अनुसार भारत में खेती की परिस्थितियाँ, भूमि पर निजी स्वामित्य कायम करने के अनुकूल नहीं थी। इसी कारण यहाँ खास तरह की 'ऐशियाई अर्थव्यवस्था' का जन्म हुआ जो नीचे गाँवों के स्तर पर तो आदिम साम्यवाद के अवशेषों को अपने साथ लिए हुई थी और ऊपर केन्द्रीय शासन की निरंकुशता थी जिसका काम युद्ध और लूटपाट के साथ सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण के कार्यो का प्रबंध करना था। इस तरह मार्क्स ने भारत में सामंतवाद की स्थिति को अस्वीकार कर दिया था। **प्रो. डी.डी. कोसाम्बी** एवं **प्रो. आर.एस. शर्मा** ने इस मत का खण्डन किया। **रामशरण शर्मा** ने अपनी पुस्तक 'भारतीय सामंतवाद' में भारत में सामंतवाद का उद्भव एवं विकास ब्राह्मण को दिए गए उन भूमि अनुदानों से मानते है जिसकी प्रक्रिया पहली सदी ईसवी से शुरू हो गई थी। कुछ अन्य भारतीय इतिहासकारों में **लल्लन जी गोपाल, बी.एन.एस. यादव, तपनराय चौधरी, डी.एन. झा** और **सतीशचन्द्र** के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

वस्तुतः मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास का औपचारिक रूप में अध्ययन डब्ल्यू.एच. मोरलैण्ड और के.एम. अशरफ के लेखन से प्रारम्भ होता है। मोरलैण्ड ने 1920 में लिखित अपनी पुस्तक 'इण्डिया एट द डैथ ऑफ अकबर – एन इकोनॉमिक स्टडी' में क्रमबद्ध रूप में मध्यकालीन भारत के आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन का आधार तैयार किया। परन्तु उसकी दृष्टि ब्रिटिश पक्षधर ही बनी रही। उसने राष्ट्रवादियों के इस आरोप का खण्डन किया कि ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारतीय जनता की स्थिति में गिरावट आयी। दूसरी तरफ ब्रिज नारायण ने अपनी कृति 'इण्डियन इकॉनोमिक लाईफ, पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट' में मोरलैण्ड के लेखन के विरूद्ध राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

सन् 1920 ई. से 1947 तक भारतीय इतिहासकार मुख्यतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास के अध्ययन पर ही केन्द्रत रहे। मुख्यतः 1956 के पश्चात् सामाजिक इतिहास के अध्ययन का आधार अधिक

व्यापक हुआ। अतः मध्यकालीन शासक वर्ग के क्रमबद्ध अध्ययन पर बल दिया जाना एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में देखा गया। विशेषकर जमींदार एवं कुलीनवर्ग की भूमिका, उनके पारस्परिक संबंध और राज्य में उनकी विशिष्ट भूमिका आदि के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाने लगा। कुलीन वर्ग की स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन **सतीशचन्द्र** ने अपनी कृति 'पार्टीज' एण्ड पॉलिटिक्स एट द मुगल कार्ट 1707–40' में प्रस्तुत किया। इस विषय पर एक अधिकारिक कृति है 1963 में लिखित इरफान हबीब का 'एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया। प्रो. नुरूल हसन ने भी अपने एक निबन्ध 'द पोजिशन ऑफ जमींदार इन मुगल अम्पायर' में जमींदारों के विभिन्न स्तरों की स्थिति एवं उनकी भूमिका की व्याख्या प्रस्तुत की। एम. अतहर अली ने औरंगजेब के अन्तर्गत मुगल कुलीन वर्ग के संगठन एवं संरचना के अध्ययन के लिए पहली बार सांख्यिकीय दृष्टिकोण (Stastical approch) को अपनाया। मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोतों के अतिरिक्त समकालीन विभिन्न महिला इतिहास के ग्रन्थों का भी अध्ययन किया गया है।

शोध का महत्व एवं प्रभावशीलता

प्रस्तावित शोध अध्ययन में दिल्ली सल्तनतकाल में भारत की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते हुये विवेच्य काल के विभिन्न कालखण्डों में स्त्रियों की सामाजिक दशा का संक्षिप्त मुल्यांकन कर उनकी स्थिति के कारणों को विश्लेषण किया गया है। प्रस्तावित अध्ययन से तथ्य प्रस्फुटित होंगे उनके आधार पर वर्तमान में सामाजिक उत्थन हेतु अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में 'प्रासंगिकता निरूपित किया गया है।

प्रस्तावित शोध योजना वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि जब तत्कालीन समाज की तुलना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्रस्तुत होगी, तो निश्चित ही अनेकों प्रश्नों का स्वतः हल हो जायेगा।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध दिल्ली सल्तनत कालीन भारतीय समाज में महिलाओं का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विश्लेषण करने के उद्देश्य से मुगल कालीन इतिहास को रेखांकित करता है। शोध में राजपूतों के पतन से लेकर मुगल साम्राज्य की स्थापना का कार्यक्रम शोध का मुख्य क्षेत्र रखा गया है तथा शोध का सीमांकन सम्पूर्ण भारत में दिल्ली सुल्तानों के प्रभाव क्षेत्र है। वस्तुतः भारत की महिलाओं की स्थिति मुगलकाल आने से पूर्व ही बदत्तर थीं, जोंकि राजपूत काल या उससे पूर्व की प्रथा का एक स्वरूप था। यद्यपि भारतीय महिलाओं का प्राचीन भारतीय समाज में यथाउचित स्थान प्राप्त होता रहा है लेकिन वास्तविकता में भारतीय महिलाओं का वो दर्जा कभी भी प्राप्त न हो सका जिसकी वो हकदार थी। अतएव् यह कहना अतिश्योक्ति न होगी कि मुगलकाल के दौरान भी भारतीय महिलाएं चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी भी वर्ग की हो, अपने उच्चत्तर स्तर से सदैव दूर रही, जिसके वो काबिल थी।

मुगलकाल में मुस्लिम परम्पराओं का निर्वाह किया जाता रहा जोंकि महिलाओं की शक्ति को प्रतिबन्धित करती थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ग्रोवर बी.एल. एवं मेहता अलका – आधुनिक भारत का इतिहास, पेज 281।
2. ट्रेभल्स इन द भुगल इम्पायर, बर्नियर, एफ. (1656–68), कन्सेबुल एण्ड कं., लंदन, 1916।
3. ट्रेभल्स इन इंडिया ट्रेमेनियर, अनु. भी. बॉल लंदन, 1899।
4. ट्रेभल्स इन इंडिया इन दि सेवेन्टीन्थ सेन्चुरी, थॉमस रे एण्ड जॉन फ्रायर लन्दन, 1973।
5. नॉरीस एम्बेसी टू औरंगजेब, (1699–1702), द्वारा हरिहर दास एण्ड एस.सी. सरकार, कलकत्ता, 1959।
6. दे एम्बेसी ऑफ सर टॉमस रो टू द कोर्ट ऑफ ग्रेट मुगल्स (1615–1619), टॉस रो, सम्पादित–विलियम फॉस्टर, हॉक सोसायटी, लंदन, द्वितीय खंड, नं.–1।
7. द कमेन्टरी, (1580–82), मॉनसेरेट, एस.एफ. अनु. जे.एस. हॉलेण्ड एण्ड एस.एच. बनर्जी, ऑक्सफार्ड, 1922।
8. द बुक ऑफ ड्यूरेट बारबोसा, द्वारा–बारबोसा डी. मार्शल, हॉक सोसायटी, लंदन, द्वितीय संस्करण।
9. द एम्पायर ऑफ द ग्रेट मुगल्स, डी, लेट, जोनीज, अनु.–जे.एस. होएलैंड एण्ड एस.एन. बनर्जी, बम्बई, 1928।
10. शर्मा चन्द्रयागा – भारतीय नारी परिवर्तन एवं चुनौतिया पेज 44, 45।
11. शर्मा डॉ. श्रीमती कमलेश – भारतीय नारी परिवर्तन एवं चुनौतियां पेज 64, 65।
12. खरे, एस.एल. – भारतीय इतिहास में नारी, पेज 70–71।
13. खरे,. एस.एल. – भारतीय इतिहास में नारी पेज 74, 75।